भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3556

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

ट्रांसजेंडरों का कल्याण

3556. श्री आलोक शर्माः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ट्रांसजेंडरों की कुल जनसंख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले ट्रांसजेंडरों के पुनर्वास की क्या योजनाएं हैं तथा उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) ट्रांसजेंडरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के सहयोग से सरकार द्वारा क्या गतिविधियां चलाई जा रही हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडरों की कुल जनसंख्या कितनी है तथा उसका जिलेवार ब्यौरा - क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों को आवास तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना क्रियान्वित की गई है;

(च) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में ट्रांसजेंडरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा उसके क्या परिणाम रहे; और

(छ) ट्रांसजेंडरों के लिए मंत्रालय द्वारा क्या प्रमुख कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं और यदि हां, तो ट्रांसजेंडरों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 'अन्य' की कुल जनसंख्या 4.87 लाख है। 'अन्य' की श्रेणी में न केवल 'ट्रांसजेंडर' शामिल होंगे, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो 'अन्य' की श्रेणी के तहत लिंग दर्ज करना चाहता है, वह भी शामिल होगा।

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग आजीविका एवं उद्यम के लिए लाभर्वचित व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल) योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसकी उप-योजना का नाम "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की

योजना" है। इस योजना में पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, कौशल विकास, विकास, आर्थिक संबंध आदि पर व्यापक रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, 990 निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गरिमा गृहों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों के माध्यम से पुनर्वासित किया गया है और 725 व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। 24,015 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल के माध्यम से पहचान प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड स्थापित किए गए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

(ग): ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की निगरानी करने तथा ऐसे अपराधों का समय पर पंजीकरण, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक के अधीन 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 12 ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

यह विभाग अपने स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के माध्यम से पुलिस कर्मियों के लिए नियमित जागरूकता सृजन और संवेदीकरण सत्र आयोजित करता है। कुल 85 जागरूकता, क्षमता निर्माण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और पुलिस अकादमियों/पुलिस कॉलेजों/एजेंसियों आदि के सहयोग से 4,269 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(घ): जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में 'अन्य' की कुल जनसंख्या 29,597 है।

(ङ) से (छ): इस विभाग ने 15 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (2) और महाराष्ट्र (3) में निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 18 गरिमा गृह, आश्रय गृह स्थापित किए हैं। गरिमा गृह का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करना है। इसके अलावा, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के क्षमता निर्माण/कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदम और विभाग द्वारा किए जा रहे प्रमुख कल्याणकारी कार्य तथा उनके परिणाम **अनुबंध** में दिए गए हैं।

दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3556 के भाग (ड.) से (छ) में उल्लिखित अनुबंध

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदम और किए जा रहे प्रमुख कल्याणकारी कार्य तथा उनके परिणाम निम्नानुसार हैं:

i. "उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019" अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करता है और किसी व्यक्ति के स्वयं-अनुभूत लिंग पहचान के अधिकार को मान्यता देता है। इसमें ट्रांसजेंडरों के प्रति संवेदनशील और गैर-कलंककारी कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण को अनिवार्य बनाया गया है, ताकि समाज में उनके लिए गरिमामय और सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार में उनके साथ भेदभाव न करने, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और कई कल्याणकारी उपायों का प्रावधान किया जा सके। विभाग ने अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए "उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण), नियम, 2020" लागू किया है।

ii. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों और विधानों के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देने, समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई नीतियों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करने, सरकार के सभी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकलापों की समीक्षा और समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की गई थी।

iii. उप-घटक "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम" के साथ आजीविका और उद्यम हेतु लाभर्वचित व्यक्तियों को सहायता (स्माइल) की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए कई घटक शामिल हैं अर्थात कौशल विकास, समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य, गरिमा गृह के रूप में सुरक्षित आश्रय, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठों की स्थापना और अन्य कल्याणकारी उपाय।

iv. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की आयुष्मान भारत स्कीम के साथ अभिसरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है।

v. इस विभाग ने 15 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश,

पश्चिम बंगाल (2) और महाराष्ट्र (3) में निराश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 18 गरिमा गृह, आश्रय गृह स्थापित किए हैं।

vi. पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड जारी करने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल शुरू किया गया है। यह आरंभ से अंत तक एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जहां आवेदक टीजी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है और किसी भी कार्यालय में गए बिना जारी होने के बाद प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है। इस पोर्टल पर 62 लाख से अधिक विजिटर आ चुके हैं और अब तक 24,015 प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

vii. अब तक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, सिक्किम, पंजाब, मिजोरम, जम्मू आर कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 12 ट्रांसजेंडर संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

viii. अब तक राजस्थान, मिजोरम, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, केरल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 19 ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (टीडब्ल्यूबी) स्थापित किए जा चुके हैं।

ix. इस विभाग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति" जारी की है।

x. विभिन्न क्षेत्रीय कौशल परिषदों आदि के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और अब तक 725 सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

xi. सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव न करने और जहां भी लिंग संबंधी कोई जानकारी एकत्र की जाती है, वहां पुरुष और महिला के विकल्प के साथ-साथ "ट्रांसजेंडर" का विकल्प प्रदान करने के लिए समय पर परामर्श जारी किए गए हैं। इस विभाग के अनुरोध पर, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) ने अपने नीति दिशानिर्देशों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समर्पित शौचालयों को शामिल किया है।

xii. यह विभाग अपने स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य हितधारकों के लिए नियमित जागरूकता सृजन और संवेदीकरण सत्र आयोजित करता है।

****